न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस. अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल. आर एक्ट 64 / 2021 जिला भीलवाड़ा

बरदा पुत्र किशना जाति रेगर, निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

...प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 25.03.2021 जो प्रकरण संख्या 115/2020 में पारित किया गया। में प्रस्तुत स्थगन आदेश बाबत् प्रार्थना–पत्र

अभिभाषकः–श्री जी.एस.लखावत एवं श्री एम.ए.काठात
राजकीय अभिभाषकः–आकाश पारीक

निर्णय   दिनांक–29.12.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट बरदा पिता किशना रैगर निवासी पचानपुरा, तह. बिजौलिया, भीलवाड़ा को ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजीकीखेड़ी के ख0न0 831/584 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन कमिटी के द्वारा आवंटित की गई थी आवंटी को गैर खातेदारी दी गई, मगर आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने पर कब्जा काश्त नहीं होने से तहसीलदार बिजौलिया द्वारा प्रकरण संख्या 115/2020 ए0डी0एम0 न्यायालय भीलवाड़ा में राजस्थान भू–आवंटन नियम–1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ए0डी0एम0 भीलवाड़ा में अपने निर्णय दिनांक 25.03.2021 से अपीलांट के पक्ष में जारी आवंटन को निरस्त करते हुए, भूमि को राजकीय कब्जे में लेने एवं भूमि को बिलानाम घोषित करने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपील मीमो का अवलोकन किया गया। अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की गयी। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

उपरोक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 भी प्रस्तुत किया है। दोनों प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

धारा– 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के अनुसार कोविड की दूसरी लहर की वजह से अदालतों में न्यायिक कार्य नहीं हो रहा था। दिनांक 08.09.2021 को आवागमन के साधन चालू होने पर भीलवाड़ा जाकर अभिभाषक से मिला। तथा निर्णय की जानकारी होने पर दिनांक 09.09.2021 को अजमेर आकर अभिभाषक महोदय से मिलकर अपील दायर करने के लिए कहा तथा अपील तैयार करवाकर दिनांक 13.09.2021 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया। अतः अपील में देरी को क्षमा किया जावे।

प्रार्थना पत्र धारा– 5 का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा जानकारी में आते ही तुरंत अपील प्रस्तुत कर दी गई है। यह सही है कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से अदालतो में काम नहीं हो रहा था तथा आवागमन के साधन नहीं चल रहे थे साथ ही प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय का यह मानना है कि प्रकरण में अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:05 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अनुसार ए0डी0एम0 भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 25.03.2021 को पारित आदेश के संदर्भ में रेस्पोडेंड वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज करवा कर अन्य को आवंटित कर देगें। जिससे अपीलांट को भारी क्षति होगी।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस सुनकर प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया। मूल अपील पर बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य साइटेशन एवं मौखिक बहस के बिन्दुओं पर मनन किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा बहस में मुख्य रूप से यह विधिक प्रश्न उठाया गया कि भूमि आवंटन नियम सन् 1970 की धारा 14(3) अब प्रभाव में नहीं है। तथा ए0डी0एम0 भीलवाड़ा द्वारा नियम 14(3) के तहत ही आवटंन शर्तो की पालना नही किये जाने से अपीलांट की गैर खातेदारी को निरस्त किया है। ए डी एम भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 25.03.2021 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलांट को ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांद जी खेड़ी में खसरा नं. 821/584 में रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन , आवंटन कमेटी कें द्वारा किया गया था। अपीलांट गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। तथा अपने आदेश में ए0डी0एम द्वारा अंकित किया कि आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने से वादग्रस्त भूमि बिलानाम दर्ज कर दिया जाये। मुख्य रूप से कब्जाकाश्त के अभाव के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया। वकील अपीलांट द्वारा पप्पू व अन्य बनाम जगराम व अन्य एस बी सिविल रिट पिटिशन नं 2851,2852,2853,4437,4427,4368(2007) निर्णय दिनांक 18.01.2008 पेज 610 पर उल्लेखित साइटेशन प्रस्तुत किए गये। उक्त साइटेशन के अनुसार सन् 1999 में नियम 14(3) को संशोधित कर दिया गया है। इसके आधार पर कोई कार्यवाही शुरूआत करना गलत है। पप्पू बनाम जगराम केस में एक आवंटी है। तथा उसके द्वारा शर्तों की पालना ना करने से तहसीलदार के द्वारा 14(4) में कार्यवाही करने हेतु कलक्टर को प्रस्ताव भेजा है। एक अन्य व्यक्ति जो आवंटी नहीं है के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि उसका कब्जा है। अतः न्यायालय जिला कलक्टर के द्वारा उसको पक्षकार बना दिया गया जिससे व्यथित होकर मूल आवंटी द्वारा न्यायालय आरएए में अपील की गई। आरएए द्वारा भी मूल आवंटी की अपील खारिज कर दी, जिससे अप्रसन्न होकर उसके द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई। राजस्व मण्डल ने उक्त अपील स्वीकार करते हुए दोनों लॉअर कोर्ट के निर्णय खारिज कर दिये। हाईकोर्ट में इस प्रकरण को सुना गया। तथा कहा गया कि मूल आवंटी को अलॉटमेंट के बाद दो वर्षो में जमीन को काश्त करनी थी जो उसके द्वारा नहीं की गई। अतः राजस्व मण्डल अजमेर का फैसला निरस्त किया जाये। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण पर टिप्पणी निर्णय करते हुये कहा है कि पूर्व में रूल 14(3) के प्रावधान थे उन्हें सन् 1999 में हटा दिया गया और उसकी जगह अब निम्न अनुसार प्रावधान किया गया है।

''14(3)-The allottee shall have to bring the land under cultivation and shall utilize it properly.

Provided that this period may be extended by the Tehsildar by one year it due to unforeseen causes over which the allottee had no control, he was unable to cultivate the land within the stipulated period,''

वर्तमान प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां मूल आवंटी के विरूद्ध यह कहते हुए पिक्चर में अन्य व्यक्ति नहीं है कि मूल आवंटी को आवंटीत भूमि पर उसका कब्जा है। ए डी एम भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 25.03.2021 का अवलोकन किया गया , उसके अनुसार ए डी एम द्वारा भूमि आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत स्वीकार कर भूमि आवंटन को खारिज करते हुए भूमि को बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया साथ ही वकील द्वारा प्रस्तुत साइटेशन का गहन अध्ययन किया गया। भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) 14(4) का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट के द्वारा ए0डी0एम भीलवाड़ा के निर्णय के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज

पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए है। कब्जाकाश्त नहीं होने की वजह से आवंटन खारिज किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी चूंकि अब गैर खातेदार नहीं रहा है।
बहस के दौरान वकील अपीलांट ने कथन किये की ए0डी0एम न्यायालय में मेरे द्वारा जो जवाब दिया गया था, उस पर विचार किये बिना ही निर्णय दिया गया जो गलत है। दूसरा तरमीम के अभाव में गिरदावरी दर्ज नहीं की जा सकती है। सरकारी अभि0 ने कहा कि आवंटन निरस्तीकरण पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। वकील अपीलांट के द्वारा जवाब में गांव का नाम व रकबा भी नहीं लिखा है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। संवत् 2071–2075 जमाबन्दी ग्राम पचानपुरा का अवलोकन किया गया। खाता न0 263(नया) खसरा संख्या 831/584 रकबा 5 बीघा अपीलांट बरदा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। गिरदावरी संवत् 2071–2075 में अवलोकन किया गया। कोई फसल का अंकन होना नहीं पाया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 ग्राम पचानपुरा द्वारा पटवार हल्का का अवलोकन किया गया। खसरा न0 831/584 में कोई फसल काश्त होना एवं अपीलांट का कब्जा होना नहीं पाया गया। ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत भूमि आवंटन को निरस्त किया है। वकील अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से उक्त नियम के मूल धारा 14(3) के बारे में अवगत कराया है कि उक्त धारा 1999 से हटा दी गई है तथा वर्तमान में संशोधित धारा 14(3) काम में ली जा रही है। जो सही है। उनका आक्षेप है कि आवंटन के बाद तरमीम नहीं की गई है। इस बाबत् उनके द्वारा कोई नक्शा ट्रेस सबूत के तौर पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जिससे इस आक्षेप बाबत् कोई निर्णय किया जा सके।
उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा का यह मानना है कि आवंटी के कब्जे काश्त के अभाव मे तहसीलदार बिजौलिया द्वारा पटवार हल्का संबंधित से उपर्युक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त कर आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव सही रूप से न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया गया तथा सही परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2021 को जारी किया गया। जिसे यथावत रखा जाना उचित है। अपील द्वारा अपीलांट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया के आराजी नं 831/584 रकबा 5 बीघा बाबत् अपीलांट की अपील बाबत् विरूद्ध निर्णय न्यायालय ए0डी0एम0 भीलवाड़ा दिनांक 25.03.2021 को सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:05 IST
Reason: SelfAttested